

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उत्तरी दिल्ली)

दिनांक 25.09.2025 को सम्पन्न समिति की 12वीं बैठक का कार्यवृत्त

समिति की 12वीं बैठक नराकास (उत्तरी दिल्ली) के अध्यक्ष डॉ. त्रिलोचन महापात्र की अध्यक्षता में दिनांक 25.09.2025 को ए.पी.शिंदे सभागार, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, टोडापुर गाँव के सामने नई दिल्ली-110012 में सम्पन्न हुई। बैठक की तिथि पर कुल 71 सदस्य कार्यालय पंजीकृत थे। बैठक में विभिन्न कार्यालयों से आए 126 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिए।

बैठक का आरंभ श्री उमाकान्त दुबे, सदस्य सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), उत्तरी दिल्ली/ उप-पंजीकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा स्वागत भाषण के माध्यम आरम्भ हुआ उन्होंने बैठक में उपस्थित मुख्य अतिथि सहित समस्त अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। साथ ही उन्होंने बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्यों का भी हार्दिक स्वागत किया। श्री उमाकान्त दुबे ने नराकास (उत्तरी दिल्ली) के समस्त कार्यालयों से प्राप्त छमाही रिपोर्ट की समीक्षा हेतु श्री अशोक कुमार, सहायक निदेशक (राजभाषा), डीआरडीओ को मंच पर आमंत्रित किया।

श्री अशोक कुमार ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्य कार्यालयों से प्राप्त छमाही रिपोर्ट की समीक्षा प्रस्तुत की। उन्होंने विभिन्न कार्यालयों द्वारा किए जा रहे हिन्दी कार्यों की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला तथा उन्होंने उन कार्यालयों का भी उल्लेख किया जहाँ हिन्दी अधिनियमों के पालन में कमी देखी गयी तथा जिनसे रिपोर्ट प्राप्त ही नहीं हुई। इसके साथ ही उन्होंने सभी कार्यालयों को अधिक से अधिक हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया और भाषाई कार्य सुधार हेतु आवश्यक सुझाव एवं मार्गदर्शन भी प्रदान किया।

श्रीमती अलका ठाकुर, सहायक निदेशक (राजभाषा), कार्मिक प्रतिभा प्रबंधन केन्द्र (सेप्टेम), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा नराकास (उत्तरी दिल्ली) के अध्यक्षीय कार्यालय एवं 7 सदस्य कार्यालयों के निरीक्षण प्रश्नावली के उपरांत माननीय संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य समिति द्वारा दिए गए निर्देशों एवं सुझावों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया। उन्होंने सभागार में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ यह जानकारी साझा की तथा यह अपेक्षा व्यक्त कि सभी कार्यालय संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष महोदय – माननीय डॉ. भर्तृहरि महताब द्वारा जारी निर्देशों पर अपने अपने कार्यालयों में समुचित अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वार्षिक आंकलन के आधार पर उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु पुरस्कार वितरण समारोह प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तार निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की पत्रिका "राजभाषा विस्तारिका" अंक 16 वर्ष 2024 का विमोचन किया गया। इसके उपरांत वार्षिक आंकलन के आधार पर उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार वितरण किए गए जिसमें 100 से कम, 101 से 250 तथा 250 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों वाले कार्यालयों को क्रमशः श्रेणी में प्रथम, द्वितीय व तृतीय साथ ही विशेष योगदान के लिए चयनित कार्यालयों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया जिनके नाम निम्नलिखित हैं



क्र. सं.	कार्यालयों के नाम	श्रेणी
1.	कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, कोबरा सेक्टर मुख्यालय	100 से कम अधिकारियों एवं कर्मचारियों वाले कार्यालय
2.	उप क्षेत्रीय कार्यालय, रोहिणी कर्मचारी राज्य बीमा निगम,	
3.	भा.कृ.अनु.प. – राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र	
4.	भर्ती एवं मूल्यांकन केन्द्र, भारत सरकार, डी.आर.डी.ओ	
5.	पद्धति अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, डी.आर.डी.ओ	101 से 250 अधिकारियों एवं कर्मचारियों वाले कार्यालय
6.	राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान	
7.	नाभिकीय औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान (इनमास)	
8.	रक्षा शरीरक्रिया एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (डिपास),	
9.	महानिदेशक लेखापरीक्षा, वित्त एवं संचार, शामनाथ मार्ग,	
10.	रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, डी.आर.डी.ओ	
11.	अग्नि विस्फोटक एवं पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र, डी.आर.डी.ओ.,	251 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों वाले कार्यालय
12.	सी.एस.आई.आर. राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला	
13.	ठोसावस्था भौतिकी प्रयोगशाला डीआरडीओ,	
14.	भा.कृ.अनु.प. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली	
15.	केन्द्रीय विद्यालय सेक्टर 3, डी-16, रोहिणी, दिल्ली	केन्द्रीय विद्यालय
16.	केन्द्रीय विद्यालय सेक्टर ए-5, पॉकेट-11, पुलिस कॉलोनी, नरेला,	
17.	केन्द्रीय विद्यालय, शालीमार बाग ए. एन. ब्लॉक, दिल्ली-110088	
18.	कार्मिक प्रतिभा प्रबंधन केन्द्र (सेप्टेम), , डी.आर.डी.ओ	विशेष योगदान पुरस्कार
19.	भा.कृ.अनु.प. – राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	
20.	पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, दिल्ली	

डॉ. राजेंद्र प्रसाद, निदेशक, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान ने अपने वक्तव्य में अवगत कराया कि वर्तमान समय में सभी कार्यालयों में हिन्दी माह मनाया जा रहा है अतः इससे बेहतर दिन और माह इस बैठक के लिए नहीं हो सकता था। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को लाना देश के लिए उन्नति का कार्य है। उन्होंने कहा कि हिन्दी में कार्य करना अत्यंत सरल है और राजभाषा विभाग द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर एवं यूनिकोड प्रणाली के माध्यम से हिन्दी का उपयोग और भी सुलभ बनाया जा सकता है। उन्होंने अवगत कराया कि कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान में ई ऑफिस पर भी हिन्दी और द्विभाषीय कार्य किया जा रहा है जिससे हिन्दी को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने सभी से यह संकल्प लेने का आग्रह किया कि हिन्दी को ज्ञान विज्ञान की भाषा बना कर नई ऊंचाईयों तक पहुँचाएंगे और देश को और आगे ले जायेंगे।

डॉ. सी एच श्रीनिवास राव, निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा डॉ त्रिलोचन माहपात्र, अध्यक्ष, नराकास (उत्तरी दिल्ली) एवं पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण और मंच पर उपस्थित समस्त अधिकारियों का स्वागत करते हुए सभी पुरस्कार विजताओं को बधाई दी। उन्होंने बताया कि



हिन्दी हमारी राजभाषा है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हिन्दी में किए जा रहे कार्यों से संसदीय समिति संतुष्ट है। हिन्दी भाषा को और आगे ले जाने में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) नराकास के साथ है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, एक अनुसंधान संस्थान है जिसमें रिसर्च और पब्लिकेशन के बहुत दस्तावेज होते हैं जिसमें अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में संतुलन बनाया गया है उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सम्पूर्ण रूप से हिन्दी में कार्य कर हिन्दी को प्रोत्साहित करेंगे।

श्री विनय कुमार राय, उप महा-निरीक्षक, केंद्रीय रक्षित पुलिस बल द्वारा अवगत कराया गया कि हिन्दी को 14 सितम्बर, 1949 को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। राजनीतिक कारणों से इसे कुछ राज्यों में नहीं अपनाया गया। हिन्दी उपयोग करने के लिए कई कार्यालयों को पुरस्कृत किया गया। उन्होंने कहा कि अपने ही देश में राजभाषा को लागू करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। हम हस्ताक्षर अंग्रेजी में करते हैं, इस छोटे से बिंदु से लेकर अपने अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करना चाहिए।

डॉ. दिनेश कुमार अग्रवाल, रजिस्ट्रार जनरल, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नराकास, उत्तरी दिल्ली की पूर्व बैठक में 4 प्र. अर्थात् प्रकाशन, प्रशिक्षण, प्रयोग एवं प्रोत्साहन के विषय पर चर्चा को दोहराया कि यदि इन 4 प्र. पर सुचारु रूप से कार्य किया जाए तो राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाया जा सकता है। म्यूचुअल फंड के विज्ञापन के उद्धरण “बढ़ेगा तो धीरे से ही” का उदाहरण देते हुए कहा कि हिन्दी का उपयोग धीरे-धीरे ही सही किन्तु निरंतर प्रयास से बढ़ाया जा सकता है। हिन्दी पत्रिकाओं और साहित्य के सम्पर्क में सदैव रहना चाहिए, नहीं तो इनको भूल सकते हैं।

डॉ. संजय कुमार, अध्यक्ष, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का स्वागत किया और उत्कृष्ट हिन्दी कार्य के लिए पुरस्कृत कार्यालयों को बधाई दी। हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी को इतिहास और भारतीय संस्कृति से जोड़ा जाए तो लोग स्वयं हिन्दी की ओर आकर्षित होंगे। बंदर/बंदरगाह, दूल्हा/दुल्हन, मोचन/विमोचन, सम्बन्धी/समधी आदि हिन्दी के शब्दों की उत्पत्ति कहां और कैसे हुई के कई उदाहरण देकर बताते हुए अपने अनुभव साझा किए। हिन्दी को इतिहास के साथ जोड़ कर व्याकरण को सरल तरीके से समझाया जाए तो हिन्दी भाषा कठिन नहीं है। कहानियों के रूप में, कार्टून फिल्म के माध्यम से शब्दों की उत्पत्ति व इतिहास की जानकारी प्रदान कर हिन्दी राजभाषा समिति द्वारा एक ऐसा प्रारूप तैयार किया जाए जिससे शब्दों के इतिहास से जन साधारण को अवगत कराया जा सके जिससे सब हिन्दी के प्रति अधिक आकर्षित हों तथा हिन्दी को अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हो।

खुली चर्चा व विचार विमर्श के दौरान कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी में अपने संदेह दूर करने के लिए मंच पर उपस्थित अधिकारियों से अपने सुझाव व्यक्त किए।

- डॉ. शैलेश कुमार मिश्रा जी द्वारा मातृभाषा हिन्दी पर कविता पाठ किया गया।
- श्री मनीष ओलानिया द्वारा बताया गया कि हिन्दी भाषा के लिए हम नियमों में बंधे हैं। हिन्दी प्रगति रिपोर्ट के प्रारूप को छोटा किया जाए और सुझाव दिया की व्यक्तिगत प्रयास किया जाए तो हिन्दी टाइप करने और हिन्दी में कार्य करने लगेंगे।

- इनमास कार्यालय सुझाव दिया कि जो लोग हिन्दी में कार्य कर रहे है, हिन्दी की सेवा कर रहे, है उन्हें वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR)/ACR में 2 नंबर दे दिए जाए | इन 2 नम्बर के कारण हिन्दी में कार्य करने वालो की संख्या बहुत अधिक होगी।
- श्री ओ. पी. ठाकुर जी ने व्यक्तिगत विचार व्यक्त किया कि हम सभी अपने बच्चो को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय भेजते है क्योंकि सभी बहुस्तरीय (Multilevel) कंपनियां से संचार के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते है। हिन्दी को प्रोत्साहन के लिए हिन्दी का तकनीकी विकास होना चाहिए।
- एनआईटी कार्यालय सुझाव दिया कि जो तिमाही रिपोर्ट भरी जाती है वह बहुत विस्तृत है, उसका सरलीकरण होना चाहिए।
- श्री आदित्य अनुराग, नारियल विकास बोर्ड: हिन्दी शब्दकोश के बारे में जानकारी दी की हिन्दी शब्दकोश ऐसा शब्दकोश बनने जा रहा है जिसमे 7 लाख शब्दों को जोड़ा जा रहा है जिससे हिन्दी अनुवाद में आसानी होगी और ई ऑफिस में भी कंठस्थ को जोड़ा जा रहा है जिससे अंग्रेजी में की गई नोटिंग हिन्दी में हो जाएगी | राजभाषा विभाग की वेबसाइट पूर्णता हिन्दी में है, बस हमे उसका अनुसरण बार बार करना चाहिए।
- सचिव, कृषि वैज्ञानिक चयन आयोग: जेम (GeM) पर अपलोड सभी दस्तावेज अंग्रेजी में जारी होते है। उन्होंने सुझाव दिया कि धारा 3(3) के अंतर्गत आनेवाले सभी दस्तावेज को द्विभाषीय होना आवश्यक है, इसलिए हिन्दी में अनुवाद कर जारी किया जा सकते है।

डॉ. त्रिलोचन महापात्र, अध्यक्ष, नराकास (उत्तरी दिल्ली) एवं पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों का नराकास की 12वीं बैठक में उपस्थित होने के लिए को धन्यवाद दिया। समन्वय समिति की कई बैठकों के माध्यम से राजभाषा विभाग के मापदंड के आधार पर उत्कृष्ट कार्य के लिए चयन किए गए कार्यालयों को प्राप्त प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह के लिए बधाई दी। महोदय ने दिनांक 10 जून, 2025 को संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण और सभी संस्थानों की छमाही रिपोर्ट समीक्षा में मुख्यता 2-3 बिंदु उभर के आए है, इस पर हमें ध्यान देना है जिसको सुगमता से पूरा किया जा सकता है। संसदीय राजभाषा समिति बैठक के निर्देश व कोई सुझाव साझा करते हुए महोदय ने अवगत कराया कि 1. पुस्तक खरीदना- कोई कठिन कार्य नहीं है यह किया जाना चाहिए है | 2. कार्यालय प्रमुख/अध्यक्ष को नराकास की बैठक में भाग लेना अनिवार्य है। कार्यालय प्रमुख ही अंग्रेजी में हस्ताक्षर करेंगे सबको वही सन्देश जाएगा इसलिए कार्यालय प्रमुख/अध्यक्ष बैठकों में भाग लें और हिंदी में हस्ताक्षर करें | 3. पत्रिका का प्रकाशन भी आवश्यक है जो कठिन कार्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय ने सभी से निवेदन किया कि प्रशिक्षण का आयोजन करना चाहिए | समन्वय समिति की बैठक समय समय पर होना चाहिए और समन्वय समिति के सदस्यों की जानकारी सभी संस्थानों को होना चाहिए। समन्वय समिति के तहत किसी भी कार्यालय को कोई भी जानकारी एवं कार्यक्रम सहायता के लिए समन्वय समिति के सदस्यों से सम्पर्क में रहकर कार्यक्रम को तेजी से बढ़ा सकते है। आगामी बैठक से पूर्व नराकास (उत्तरी दिल्ली) की पत्रिका का प्रकाशन कर लिया जाए और दिसम्बर 2025 में अगली बैठक कर ली जाए। जिन संस्थानों से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है उसके लिए उनके अध्यक्ष को पत्र द्वारा अवगत करवाया जाए। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन हिन्दी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है | कार्यालय में जो कार्यक्रम

होते है उसमे उसका प्रयोग होना चाहिए, अधिनियमों का पालन होना चाहिए और समय समय पर हिन्दी कार्यशाला कार्यक्रम को करने के निर्देश दिए।

कार्रवाई बिंदु

- आगामी बैठक दिसम्बर माह 2025 में आयोजित की जाए।
- जिन सदस्य कार्यालयों से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है उनके कार्यालय प्रमुख को पत्राचार किया जाए।
- सभी सदस्य कार्यालयों को सूचित किया जाए की कार्यालय प्रमुख का छमाही बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य है।
- नराकास (उत्तरी दिल्ली) की पत्रिका का प्रकाशन किया जाए।
- दिनांक 10.06.2025 को सम्पन्न संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य समिति द्वारा दिए गए निर्देशों एवं सुझावों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
- समय समय पर सदस्य कार्यालयों का निरीक्षण किया जाए।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए।

श्री जय नारायण उपाध्याय (वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी), सी.एस.आई.आर- राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।



